

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, औरैया

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त परिपत्र संख्या- 14/एडमिन डी सैक्शन दिनांकित 15.10.2022 के द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या- 41/एडमिन डी सैक्शन दिनांकित 14.04.1980 के अनुक्रम में न्यायिक अधिष्ठान औरैया से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, अधोलिखित तालिकानुसार रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि पूर्व में समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) तक की जायेगी।

उक्त पदों का वेतनमान सम्बंधित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथासंशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।

पुनर्नियुक्ति 65 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने अथवा धारित पद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भरे जाने, जो भी पहले हो तक ही मान्य रहेगी।


इस सम्बंध में पूर्व में कार्यालय जनपद न्यायाधीश औरैया, प्रशासनिक अनुभाग से दिनांक 14.11.2022 को विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी इस क्रम में जनपद न्यायालय औरैया में इस विज्ञप्ति से सम्बंधित अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदन हेतु निर्धारित तिथि को बढ़ाते हुये आवेदक अपना आवेदन, आयु प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 06.01.2023 की सायं 04.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त हुये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जनपद न्यायालय औरैया में पुनर्नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की विवरणी:-

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्त पद	मानदेय
01	वरिष्ठ सहायक	30	Principal of last pay drawn minus amount of pension

विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, औरैया को आदेशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय औरैया, की वेबसाईट एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

जिला सूचना अधिकारी, औरैया को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

  
जनपद न्यायाधीश,  
औरैया।

